कार्यालय अपर मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) मध्यप्रदेश सतपुडा भवन भोपाल

क्रमांक/निर्वतन/काष्ठ/ 1485 भोपाल दिनांक 17 अप्रैल 2003

प्रति,

समस्त वन संरक्षक,

मध्यप्रदेश

विषयः-- **अवरोध मूल्य निर्धारण बावत् ।**

संदर्भः-- म.प्र.शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-30/4/99/10--3 दिनांक 8--9--99.

---0---

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि अवरोध दरों का निर्धारण वर्ष में दो बार क्रमशः 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर को किया जावेगा। कई वन वृत्तों में माह अप्रैल 2003 में नीलामी निर्धारित है किन्तु ऐसे वृत्तों से अवरोध दरों के निर्धारण की जानकारी अप्राप्त है।

अवरोध दर के लिए गणना पत्रक एवं प्रस्तावित अवरोध दर पहले मुख्यालय से अवलोकन करा लें। यह ध्यान रहे कि 1 अप्रैल 2003 के बाद बिना अवरोध दरों के निर्धारण के, कोई भी नीलाम नहीं किया जावेगा।

नि. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल